समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
संयुक्त आदेश

विगत वर्षो की भाँति इस वर्ष भी मधेपुरा जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 (1ली अप्रील, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक के लिए) देशी /मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की बन्दोवस्ती लॉटरी द्वारा दिनांक 13-03-2015 को 10:00 बजे पूर्वाहन से समाहरणालय, मधेपुरा के सभा कक्ष में की जाएगी।

उक्त अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्थानों पर सशस्त्र बल के प्रभारी दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

क्र0	प्रतिनियुक्ति का स्थान	दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सशस्त्र बल	लाठी बल
1	2	3	4	5	6
1	समाहरणालय के मुख्य द्वार	1-श्री रामजी साह, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा-9470716791 2-श्री संजय कुमार वर्मा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा-	1-प्रा0अ0नि0, प्रेम किशोर पाण्डेय, पुलिस लाईन 2-स0अ0नि0, गिरीश तिवारी, महिला थाना	1-4	10
2	समाहरणालय परिसर में	श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा-8271973833	स0अ0नि0, अशोक कुमार साह, मधेपुरा थाना	1-4	05
3	समाहरणालय का पोर्टिको (सीढ़ी के पास)	श्री नरेन्द्र सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा-9430666943	पु0अ0नि0, अब्दुल हमीद खां, पुलिस लाईन	1-4	05
4	सभा भवन के पास	श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा-8873969356/ 9471009858	उमेश पासवान, एस0सी0 /एस0टी0 प्रभारी	1-4	05
5	सभा भवन के बाहर लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार कराने हेतु	श्री आर0एल0 सत्यार्थी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा- 9431883687	-	-	-
6	पार्किंग एवं ट्रैफिक रेगुलेशन	श्री उपेन्द्र राव, मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा-	-	1-4	-

		9801759291/ 9431090721			
7	शहर गश्ती	1-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा 2-अंचल अधिकारी, मधेपुरा	थानाध्यक्ष, मधेपुरा	1-4	-

(2) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /बल :-

सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस बल निर्धारित समय से **कम से कम दो घंटा पूर्व** प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर स्थल का निरीक्षण कर लेंगे और भीड़ के जाने अर्थात बंदोवस्ती कार्यक्रम समाप्त हो जाने पर ही अपने प्रतिनियुक्ति स्थल से प्रस्थान करेंगे।

(3) प्रवेश की अनुमति :-

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल यह सुनिश्चित करेंगे कि जिनके पास लॉटरी में भाग लेने हेतु रसीद उपलब्ध हो अर्थात जो निविदादाता हैं, उन्हें ही प्रवेश की अनुमति देंगे। आवेदकों द्वारा फॉर्म भरने के समय, आवेदन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशि के एवज में प्राप्त नाजीर रसीद हीं, प्रवेश द्वार से अंदर आने हेतु पास माना जायेगा। एक नाजीर रसीद पर एक से ज्यादा व्यक्तियों का नाम अंकित होने पर उक्त नाजीर रसीद की फोटो कॉपी भी मान्य होगी, बशर्ते उस पर धारक का नाम घेरकर हस्ताक्षर अंकित किया गया हो। मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सभा भवन में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे समाहरणालय परिसर में ही उपस्थित रहेंगे, जिस समूह का लॉटरी निकाला जाएगा, उसके लिए माईक से उद्घोषणा की जाएगी, उसी समूह के व्यक्तियों को सभा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभा भवन के पास प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(4) एंटी सबोटेज चेक / Frisking :-

समाहरणालय, मधेपुरा के मुख्य द्वार पर जिनके पास लॉटरी में भाग लेने हेतु रसीद उपलब्ध हो अर्थात जो निविदादाता हैं, उनकी मेटल डिटेक्टर से एडवांस एंटी सबोटेज चेकिंग एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों का Frisking किया जाए तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जाए। मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / विशेष शाखा के पदाधिकारी /जिला बल के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। विशेष शाखा के पदाधिकारी /जिला बल के पदाधिकारी आवश्यक आसूचना संग्रह का कार्य भी करेंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस बल यह हरहाल में सुनिश्चित करायेंगे कि **किसी भी परिस्थिति में मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के पास किसी भी प्रकार का विस्फोटक /ज्वलनशील पदार्थ /आर्म्स /लाठी /डंडा आदि न हो।**

(5) वाहनों का पार्किंग :-

जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा तथा मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि समाहरणालय परिसर में विभागीय वाहन के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन की प्रवेश की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं देंगे तथा अन्य वाहनों का पार्किंग बी0एन0मंडल स्टेडियम, मधेपुरा में कराना सुनिश्चित करेंगे। लॉटरी में भाग लेने हेतु आने वाले डाक वक्ताओं के पास नकद राशि को देखते हुए, उनके वाहन को समाहरणालय के प्रवेश द्वार तक आने की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु, किसी भी परिस्थिति में उनके वाहन को मुख्य द्वार से अंदर

प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था बी0एन0मंडल स्टेडियम, मधेपुरा में की गयी है।

(6) वीडियोग्राफी /फोटोग्राफी :-

अधीक्षक, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि उक्त अवसर पर कम से कम तीन वीडियोग्राफर, एक समाहरणालय मुख्य द्वार पर, दूसरा सभा कक्ष के बरामदे पर तथा तीसरा सभाकक्ष के अंदर, की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे, जो लगातार वीडियोग्राफी करेंगे।

(7) मोबाईल मेडिकल युनिट :-

सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि समाहरणालय परिसर में एक मोबाईल मेडिकल युनिट (जीवनरक्षक दवाई के साथ) की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे, जिसमें योग्य चिकित्सक/ चिकित्सा कर्मी सभी जीवन रक्षक दवाओं के साथ उपलब्ध रहेंगे।

(8) लाईव वेब कास्टिंग :-

आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा से समन्वय स्थापित कर चिन्हित स्थलों पर लाईव वेब कास्टिंग कराना सुनिश्चित करेंगे।

(9) अग्निशामक दस्ता -

अग्निशामक पदाधिकारी/ कर्मी जिला में उपलब्ध अग्निशामक वाहन को तैयार हालत में समाहरणालय परिसर के एक कोने में खड़ा रखेंगे।

(10) बैरियर (ड्रॉप गेट) :-

शराब बंदोवस्ती के अवसर पर काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। लोग बसों /ट्रेक्टर /छोटी वाहनों से समाहरणालय पहुंचेंगे। सुरक्षा एवं ट्राफिक को नियंत्रित रखने के लिए जगजीवन आश्रम, मधेपुरा के पास तथा बस स्टैण्ड चौक, मधेपुरा के पास ड्रॉप गेट का निर्माण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा अधीक्षक उत्पाद के सहयोग से बनवायेंगे। परिचारी प्रवर, मधेपुरा प्रत्येक ड्रॉप गेट पर 1-4 सशस्त्र बल एवं लाठी बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

(11) शहर में यातायात प्रबंधन :-

उक्त अवसर पर विधि-व्यवस्था को देखते हुए मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि थानाध्यक्ष, मधेपुरा की सहायता से अस्थायी बैरियर का निर्माण करते हुए सहरसा-मधेपुरा से आने-जाने वाले बड़ी वाहनों यथा- बस /ट्रक /ट्रेक्टर आदि को न्यू बायपास होते हुए सिंहेश्वर /कॉलेज चौक होते हुए पूर्णियॉ की तरफ संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा शहर में प्रवेश करने वाले ट्रक /ट्रेक्टरों /बसों आदि के गति को नियंत्रित कराने एवं ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, मधेपुरा तथा थानाध्यक्ष, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि शहर में सघन गश्ती करेंगे तथा यातायात प्रबंधन एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा अपने स्तर से भी यातायात नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था हेतु चौकसी बरतेगें।

(12) धारा-144 /निरोधात्मक कार्रवाई :-

समाहरणालय परिसर के ईद-गिर्द विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिए **अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अधीन निरोधात्मक** कार्रवाई करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-	ह0/-
पुलिस अधीक्षक	जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।	मधेपुरा।

ज्ञापांक 663 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 10/03/2015

प्रतिलिपि : प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /बल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी /थानाध्यक्ष, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

	10/03/15
पुलिस अधीक्षक	जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।	मधेपुरा।